

[To be published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i)]

**GOVERNMENT OF INDIA**

**MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS**

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 10<sup>th</sup> May, 2019

G.S.R.....(E). In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 469 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the **Companies (Incorporation) Rules, 2014**, namely: -

1. Short title and Commencement.- (1) These rules may be called the **Companies (Incorporation) Fifth Amendment Rules, 2019**.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Companies (Incorporation) Rules, 2014, for rule 8, the following rules shall be substituted, namely:-

**8. Names which resemble too nearly with name of existing company.-** (1) A name applied for shall be deemed to resemble too nearly with the name of an existing company, if, and only if, after comparing the name applied for with the name of an existing company by disregarding the matters set out in sub-rule (2), the names are same.

(2) The following matters are to be disregarded while comparing the names under sub-rule (1):-

(a) the words like Private, Pvt, Pvt., (P), OPC Pvt. Ltd., IFSC Limited, IFSC Pvt. Limited, Producer Limited, Limited, Unlimited, Ltd, Ltd., LLP, Limited Liability Partnership, company, and company, & co, & co., co., co, corporation, corp, corpn, corp or group;

(b) the plural or singular form of words in one or both names;

### **A. Illustrations**

- (i) Green Technology Ltd. is same as Greens Technology Ltd. and Greens Technologies Ltd.
- (ii) Pratap Technology Ltd. is same as Prataps Technology Ltd. and Prataps Technologies Ltd.
- (iii) SM Computers Ltd. is not same as SMS Computers Ltd.

(c) type and case of letters, spacing between letters, punctuation marks and special characters used in one or both names;

### **B. Illustrations**

- (i) ABC Ltd. is same as A.B.C. Ltd. and A B C Ltd.
- (ii) TeamWork Ltd. is same as Team@Work Ltd. and Team-Work Ltd.

(d) use of different tenses in one or both names ;

### **C. Illustrations**

- (i) Ascend Solutions Ltd. is same as Ascended Solutions Ltd. and Ascending Solutions Ltd.
- (ii) Speak English Solutions Limited is same as Spoken English Solutions Limited.

(e) use of different phonetic spellings including use of misspelled words of an expression;

### **D. Illustrations**

- (i) Chemtech Ltd. is same as Chemtec Ltd., Chemtek Ltd., Cemtech Ltd., Cemtek Ltd., Kemtech Ltd., and Kemtek Ltd.
- (ii) Bee Kay Ltd is same as BK Ltd, Be Kay Ltd., B Kay Ltd., Bee K Ltd., B.K. Ltd. and Bee Kay Ltd.

(f) use of host name such as 'www' or a domain extension such as 'net', 'org', 'dot' or 'com' in one or both names;

### **E. Illustrations**

- (i) Ultra Solutions Ltd. is same as Ultrasolutions.com Ltd.
- (ii) Supreme Ultra Solutions Ltd. is not the same as Ultrasolutions.com Ltd.

(g) the order of words in the names;

### **F. Illustrations**

- (i) Ravi Builders and Contractors Ltd. is same as Ravi Contractors and Builders Ltd.
- (ii) Ravi Builders and Contractors Limited is not the same as Ravi Shankar Builders and Contractors Limited.

(h) use of the definite or indefinite article in one or both names;

### **G. Illustrations**

- (i) Congenial Tours Ltd. is same as A Congenial Tours Ltd. and The Congenial Tours Ltd.
- (ii) Isha Industries Limited is not the same as Anisha Industries Limited.

(i) a slight variation in the spelling of the two names including a grammatical variation thereof;

### **H. Illustrations**

- (i) Color Technologies Ltd. is same as Colour Technologies Ltd.
- (ii) Disc Solutions Ltd. is same as Disk Solutions Ltd. but it is not same as Disco Solutions Ltd.

(j) complete translation or transliteration, and not part thereof, of an existing name, in Hindi or in English;

### **I. Illustrations**

- (i) National Electricity Corporation Ltd. is same as Rashtriya Vidyut Nigam Ltd.
- (ii) Hike Construction Ltd. is not the same as Hike Nirman Ltd.

(k) addition of the name of a place to an existing name, which does not contain the name of any place;

### **J. Illustrations**

- (i) If Salvage Technologies Ltd. is an existing name, it is same as Salvage Technologies Delhi Ltd and Salvage Delhi Technologies Ltd.
- (ii) Retro Pharmaceuticals Ranchi Ltd. is not the same as Retro Pharmaceuticals Chennai Ltd.

(l) addition, deletion, or modification of numerals or expressions denoting numerals in an existing name, unless the numeral represents any brand;

### **K. Illustrations**

- (i) Thunder Services Ltd is same as Thunder11 Services Ltd and OneThunder Services Ltd
- (ii) Style Garments11 Ltd. is same as Style Garments Ltd and Style12 Garments Ltd.
- (iii) One 11 Power Equipment Ltd is not the same as One Power Equipment Ltd, if One 11 represents a brand:

**Provided that clauses (f) to (h) and clauses (k) and (l) shall not be disregarded while comparing the names, if a no objection by way of a Board resolution has been provided by an existing company.**

**8A. Undesirable names.-** (1) The name shall be considered undesirable, if-

(a) it is prohibited under the provisions of section 3 of the Emblems and Names (Prevention and Improper Use) Act, 1950 (12 of 1950), unless a previous permission has been obtained under that Act;

(b) save as provided in section 35 of the Trade Marks Act, 1999 (47 of 1999), the name includes a trade mark registered under the Trade Marks Act, 1999 and the rules framed thereunder in the same class of goods or services in which the activity of the company is being carried out or is proposed to be carried out, unless the consent of the owner or applicant for registration, of the trade mark, as the case may be, has been obtained and produced by the promoters;

(c) it includes any word or words which are offensive to any section of the people;

(d) the proposed name is identical with or too nearly resembles the name of a limited liability partnership;

Provided that the provisions of rule 8 shall apply *mutatis mutandis* while determining whether a proposed name is too nearly resembling the name of a limited liability partnership;

(e) the proposed name is identical with or too nearly resembles with a name which is for the time being reserved in accordance with rule 9:

Provided that the provisions of rule 8 shall apply *mutatis mutandis* while determining whether a proposed name is too nearly resembling with a reserved name;

(f) the company's main business is financing, leasing, chit fund, investments, securities or combination thereof, but the proposed name is not indicative of such related financial activities, viz., Chit Fund or Investment or Loan, etc.;

(g) the company's name is indicative of activities financing, leasing, chit fund, investments, securities or combination thereof, but the company's main business is not related to such activities;

(h) it resembles closely the popular or abbreviated description of an existing company or limited liability partnership;

(i) the proposed name is identical with or too nearly resembles the name of a company or limited liability partnership incorporated outside India and reserved by such company or limited liability partnership with the Registrar:

Provided that if a foreign company is incorporating its subsidiary company in India, then the original name of the holding company as it is may be allowed with the addition of word India or name of any Indian State or city, if otherwise available:

Provided further that provisions of rule 8 shall apply *mutatis mutandis* while determining whether a proposed name is too nearly resembling the name of a company or limited liability partnership incorporated outside India;

(j) any part of the proposed name includes the words indicative of a separate type of business constitution or legal person or any connotation thereof e.g. co-operative, sehkari, trust, LLP, partnership, society, proprietor, HUF, firm, Inc., PLC, GmbH, SA, PTE, Sdn, AG, etc.;

Explanation.- For the purposes of this clause, it is hereby clarified that the name including phrase 'Electoral Trust' may be allowed for registration of companies to be formed under section 8 of the Act, in accordance with the Electoral Trusts Scheme, 2013 notified by the Central Board of Direct Taxes (CBDT):

Provided that name application is accompanied with an affidavit to the effect that the name to be obtained shall be only for the purpose of registration of companies under the said Electoral Trust Scheme as notified by the Central Board of Direct Taxes;

(k) the proposed name contains the words 'British India';

(l) the proposed name implies association or connection with an embassy or consulate of a foreign government;

(m) the proposed name includes or implies association or connection with or patronage of a national hero or any person held in high esteem or important personages who occupied or are occupying important positions in the Government;

(n) the proposed name is identical to the name of a company dissolved as a result of liquidation proceeding and a period of two years has not elapsed from the date of such dissolution:

Provided that if the proposed name is identical with the name of a company which is struck off in pursuance of action under section 248 of the Act or under section 560 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956) then the same shall not be allowed before the expiry of twenty years from the date of publication in the Official Gazette being so struck off;

(o) it is identical with the name of a limited liability partnership in liquidation or the name of a limited liability partnership which is struck off up to a period of five years;

(p) the proposed name include words such as 'Insurance', 'Bank', 'Stock Exchange', 'Venture Capital', 'Asset Management', 'Nidhi', 'Mutual Fund', etc., unless a declaration is submitted by the applicant that the requirements mandated by the respective regulator, such as IRDA, RBI, SEBI, MCA, etc. have been complied with by the applicant;

(q) the proposed name includes the word "State", in case the company is not a Government company;

(r) the proposed name is containing only the name of a continent, country, State, city such as Asia limited, Germany Limited, Haryana Limited or Mysore Limited;

(s) Use of descriptive names, where the name merely consists of commonly used words to describe an activity.

Explanation.—For the purposes of this clause,—

(A) the term "commonly used words" refers to use of generic expressions which may be used by any other company to describe its trade;

(B) while determining whether a name is descriptive or not, the objects of the proposed company or the order of words appearing in a name shall not be relevant;

(C) the name shall not be deemed to be descriptive where "commonly used words" are used in addition to other words in the name;

### A. Illustrations

(i) The names Silk Manufacturers Private Limited and Manufacturers Silk Ltd. are descriptive names as they merely describe an activity which may also be carried out by any other company and the order of the words is not relevant while determining a descriptive name.

(ii) The names Computer World Ltd., Food Star Ltd., Tour Hub Ltd or House of Chocolate Ltd are not descriptive as the names do not merely consist of commonly used words.

(iii) The names Technical Vista Ltd or Vista Technical are not descriptive as the names do not merely consist of commonly used words and the order of the words is not relevant while determining whether a name is descriptive.

(iv) The name Drinking Water Plant Ltd. is a descriptive name, even if the object of the company is not related to making drinking water plant as it consists of commonly used words and objects of the proposed company is not relevant while determining whether a name is descriptive.

(v) The name Silk Wise Manufacturers Private Limited is not descriptive as it contains words other than commonly used words.

(t) the proposed name includes name of any foreign country or any city in a foreign country, the same shall be allowed if the applicant produces any proof of significance of business relations with such foreign country like memorandum of understanding with a company of such country:

Provided that the name combining the name of a foreign country with the use of India like India Japan or Japan India shall be allowed if, there is a government to government participation or patronage and no company shall be incorporated using the name of an enemy country.

Explanation.- For the purposes of this clause, 'enemy country' means so declared by the Government of India from time to time.

(u) the proposed name of a section 8 company under the Act does not include the words Foundation, Forum, Association, Federation, Chambers, Confederation, Council, Electoral Trust and the like, etc.



(v) the proposed name of a Nidhi company under the Act does not have the last words "Nidhi Limited" as a part of its name.

(w) the proposed name has been released from the register of companies upon change of name of a company and three years have not elapsed since the date of change unless a specific direction has been received from the competent authority in the course of compromise, arrangement or amalgamation.


(2) The applicant shall declare in affirmative or negative (to affirm or deny) whether he is using or has been using in the last five years, the name applied for incorporation of company or LLP in any other business constitution like Sole proprietor or Partnership or any other incorporated or unincorporated entity and if, yes details thereof and No Objection Certificate from other partners and associates for use of such name by the proposed Company or LLP, as the case may be, and also a declaration as to whether such other business shall be taken over by the proposed company or LLP or not.

**3B. Word or expression which can be used only after obtaining previous approval of Central Government.** In terms clause (b) of sub-section (3) of section 4, the following words and combinations thereof shall not be used in the name of a company in English or any of the languages depicting the same meaning unless the previous approval of the Central Government has been obtained for the use of any such word or expression:-

- a) Board;
- b) Commission;
- c) Authority;
- d) Undertaking;
- e) National;
- f) Union;
- g) Central;
- h) Federal;
- i) Republic;
- j) President;
- k) Rashtrapati;

- (l) Small Scale Industries;
- (m) Khadi and Village Industries Corporation;
- (n) Financial Corporation and the like;
- (o) Municipal;
- (p) Panchayat;
- (q) Development Authority;
- (r) Prime Minister or Chief Minister;
- (s) Minister;
- (t) Nation;
- (u) Forest corporation;
- (v) Development Scheme;
- (w) Statute or Statutory;
- (x) Court or Judiciary;
- (y) Governor;
- (z) the use of word Scheme with the name of Government (s), State, India, Bharat or any Government authority or in any manner resembling with the schemes launched by Central, State or local Governments and authorities; and
- (za) Bureau." .

[F. No. 1/13/2013 CL-V, part-I, Vol.III]



Handwritten signature of K.V.R. Murty, dated 10/5/19.

K.V.R. MURTY, Joint Secretary.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 250(E), dated the 31<sup>st</sup> March, 2014 and subsequently amended *vide* the following notifications:-

| Serial Number | Notification Number | Notification Date |
|---------------|---------------------|-------------------|
| 1.            | G.S.R. 349 (E)      | 01-05-2015        |
| 2.            | G.S.R. 442 (E)      | 29-05-2015        |
| 3.            | G.S.R. 99 (E)       | 22-01-2016        |
| 4.            | G.S.R.336(E)        | 23-03-2016        |
| 5.            | G.S.R.743(E)        | 27-07-2016        |
| 6.            | G.S.R.936(E)        | 01-10-2016        |
| 7.            | G.S.R.1184 (E)      | 29-12-2016        |
| 8.            | G.S.R. 70 (E)       | 25-01-2017        |
| 9.            | G.S.R.955 (E)       | 27-07-2017        |
| 10.           | G.S.R. 49 (E)       | 20-01-2018        |
| 11.           | G.S.R.284 (E)       | 23-03-2018        |
| 12.           | G.S.R.708 (E)       | 27-07-2018        |
| 13.           | G.S.R.1219 (E)      | 18-12-2018        |
| 14.           | G.S.R.144 (E)       | 21-02-2019        |
| 15            | G.S.R.180 (E)       | 06-03-2019        |
| 15            | G.S.R.275(E)        | 29-03-2019        |
| 16            | G.S.R.332(E)        | 25-04-2019        |

\*\*\*\*\*

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-2, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार  
कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 मई, 2019

सा.का.नि. \_\_\_\_\_(अ).- केंद्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 469 की उप-धारा (1) और उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कंपनी (निगमन) नियम, 2014 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. (1) संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- इन नियमों का संक्षिप्त नाम कंपनी (निगमन) पांचवां संशोधन नियम, 2019 है।  
(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 8 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् -

**"8. ऐसे नाम जो विद्यमान कंपनी के नाम के अत्यधिक सदृश हैं :-**

(1) आवेदन किया गया कोई नाम किसी विद्यमान कंपनी के नाम के अत्यधिक सदृश तब समझा जाएगा, यदि, और केवल यदि, आवेदन किए गए नाम की किसी विद्यमान कंपनी के नाम के साथ तुलना करने के पश्चात् उप-नियम (2) में उपवर्णित मामलों की उपेक्षा करते हुए, नाम समान हैं।

(2) उप-नियम (1) के अधीन नामों की तुलना करते समय, निम्नलिखित मामलों की उपेक्षा की जानी है:-

(क) प्राइवेट, पीवीटी., पीवीटी (पी), ओपीसी पीवीटी लि., आईएफएससी लिमिटेड, आईएफएससी पीवीटी लिमिटेड, प्रोड्यूसर लिमिटेड, लिमिटेड, अनलिमिटेड, लि, लि., एलएलपी, सीमित दायित्व भागीदारी, कंपनी, एंड कंपनी, एंड कंपनी, एंड कंपनी, कंपनी, कारपोरेशन, कोर्प., कोर्पन, कोर्प अथवा ग्रुप जैसे शब्द;

(ख) कोई शब्द एक अथवा दोनों नामों में बहुवचन या एकवचन है;

#### क. दृष्टांत

- (i) ग्रीन टेक्नोलॉजी लि., ग्रीन्स टेक्नोलॉजी लि. और ग्रीन्स टेक्नोलॉजीज़ लि. के समान है।
- (ii) प्रताप टेक्नोलॉजी लि., प्रताप्स टेक्नोलॉजी लिमिटेड और प्रताप्स टेक्नोलॉजीज़ लिमिटेड के समान है।
- (iii) एसएम कम्प्यूटर्स लि., एसएमएस कम्प्यूटर्स के समान नहीं है।

(ग) एक अथवा दोनों नामों में प्रयुक्त अक्षरों का प्रकार और कारक, अक्षरों के बीच स्थान, विराम चिह्न, विशेष चिह्न और;

#### ख. दृष्टांत

- (i) एबीसी लि. ए.बी.सी. लिमिटेड और ए बी सी लिमिटेड एक समान हैं।
- (ii) टीम-वर्क लि. और टीम@वर्क लि., टीमवर्क लि. एक समान है।

(घ) एक या दोनों नामों में विभिन्न कालों का प्रयोग;

#### ग. दृष्टांत

- (i) एसेन्ड सोल्यूशन्स लिमिटेड, एसेन्डेड सोल्यूशन्स लिमिटेड और एसेन्डिंग सोल्यूशन्स लिमिटेड एक समान हैं।
- (ii) स्पीक इंग्लिश सोल्यूशन्स लिमिटेड, स्पोकन इंग्लिश सोल्यूशन्स लिमिटेड के समान नहीं है।

(ङ) किसी अभिव्यक्ति के गलत वर्तनी वाले शब्दों के उपयोग सहित विभिन्न ध्वनि संबंधी वर्तनियों का उपयोग;

#### घ. दृष्टांत

- (i) चेमटेक लि., चेमटेक लि., सेमटेक लि., सेमटेक लि., केमटेक लि., और केमटेक लि. के समान है।
- (ii) बी के लि, बीके लि, बी के लि, बी के लि, बी के लि, बी.के. लि और बी के लि एक समान है।

(च) एक अथवा दोनों नामों में कोई समूह नाम जैसे 'www' या कोई डोमेन विस्तार जैसे 'नेट', 'ओर्ग', 'डॉट' या 'कॉम' शामिल होता है;

#### ड. दृष्टांत

- (i) अल्ट्रा सोल्यूशन्स लि., अल्ट्रासोल्यूशन्स लि. एक समान है।
- (ii) सुप्रीम अल्ट्रा सोल्यूशन्स लि., अल्ट्रासोल्यूशन्स.कॉम लि. एक समान नहीं है

(ज) नामों में शब्दों का क्रम;

#### च. दृष्टांत

- (i) रवि बिल्डर्स एंड कॉन्ट्रेक्टर्स लि., रवि कॉन्ट्रेक्टर्स एंड बिल्डर्स लि. के समान हैं।
- (ii) रवि बिल्डर्स एंड कॉन्ट्रेक्टर्स लिमिटेड, रवि शंकर बिल्डर्स एंड कॉन्ट्रेक्टर्स लिमिटेड के समान नहीं है।

(झ) एक या दोनों नामों में निश्चित और अनिश्चित आर्टिकल का प्रयोग;

#### छ. दृष्टांत

- (i) कन्जीन्यल टूर्स लि., ए कन्जीन्यल टूर्स लि. और दि कन्जीन्यल टूर्स लि. के समान है।
- (ii) इशा इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड, अनिशा इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड के समान नहीं है।

(ञ) दो नामों की वर्तनी में इसके किसी व्याकरणिक अंतर सहित थोड़ा अंतर होना;

#### ज. दृष्टांत

- (i) कोलर टेक्नोलोजीज़ लि., कलर टेक्नोलोजीज़ लि के समान है,
- (ii) डिस्क सोल्यूशन्स लि., डिस्क सोल्यूशन्स लि के समान है लेकिन डिस्को सोल्यूशन्स लि. के समान नहीं है।

(ट) हिन्दी या अंग्रेजी में किसी विद्यमान नाम का पूर्ण अनुवाद अथवा लिप्यांतरण, और जो उसका भाग न हो;

### झ. दृष्टांत

- (i) नेशनल इलैक्ट्रिसिटी कॉर्पोरेशन लि., राष्ट्रीय विद्युत निगम लि. समान हैं।
- (ii) हाइक कंपनीस्ट्रक्शन लि, हाइक निर्माण लि समान नहीं हैं।

(ट) किसी विद्यमान नाम के किसी स्थान के नाम को जोड़ना जो किसी स्थान के नाम में समाविष्ट नहीं था;

### ज. दृष्टांत

- (i) यदि साल्वेज टेक्नोलोजीज़ लि. कोई विद्यमान नाम है, यह साल्वेज टेक्नोलोजीज़ देल्ही लि. और साल्वेज देल्ही टेक्नोलोजीज़ लि. समान है।
- (ii) रेट्रो फार्मास्यूटिकल्स रांची लि., रेट्रो फार्मास्यूटिकल्स चेन्नई लि. के समान नहीं है।

(ठ) यदि विद्यमान नाम में संख्या किसी ब्रांड का प्रतिनिधित्व नहीं करती है तो संख्याओं या संख्याओं को दर्शाने वाली अभिव्यक्तियों को जोड़ना, विलोप करना अथवा संशोधित करना;

### ट. दृष्टांत

- (i) थंडर सर्विसेज़ लि, थंडर11 सर्विसेज़ लि. और वन थंडर सर्विसेज़ लि. के समान है।
- (ii) स्टाइल गार्मेंट्स11 लि. स्टाइल गार्मेंट्स लि और स्टाइल12 गार्मेंट्स लि. के समान है।
- (iii) यदि वन11 एक ब्रांड है तो वन11 पावर इक्विपमेंट लि. और वन पावर इक्विपमेंट लि. एक समान नहीं हैं :

परंतु कि नामों की तुलना करते समय, खंड (च) से खंड (ज) तथा खंड (ट) और खंड (ठ) की अवहेलना नहीं की जाएगी, यदि किसी विद्यमान कंपनी द्वारा किसी बोर्ड संकल्प की रीति से कोई आपत्ति नहीं की गई है।

### 8क. अवांछनीय नाम -

(1) ऐसे नाम को अवांछनीय माना जाएगा, यदि -

(क) यह संप्रतीक और नाम (अनुचित प्रयोग निवारण) अधिनियम, 1950 (1950 का 12) की धारा 3 के उपबंधों के अधीन निषिद्ध है, जब तक कि उक्त अधिनियम के अधीन पूर्व में अनुमति प्राप्त न कर ली गई हो;

(ख) व्यापार चिह्न अधिनियम, 1999 (1999 का 47) की धारा 35 में यथा-उपबंधित के सिवाय वस्तुओं या सेवाओं की समान श्रेणी के नाम में व्यापार चिह्न अधिनियम, 1999 और इसके अधीन विरचित नियमों के अधीन रजिस्ट्रीकृत भी है जिसमें कंपनी का कार्यकलाप किया जा रहा है अथवा किया जाना प्रस्तावित है, जब तक, यथास्थिति व्यापार चिह्न के स्वामी की सहमति या प्रवर्तकों द्वारा रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन प्रस्तुत न किया गया हो ;

(ग) इसमें ऐसा शब्द अथवा ऐसे शब्द सम्मिलित हैं जो लोगों के किसी वर्ग के लिए अपकारक हैं;

(घ) प्रस्तावित नाम किसी सीमित दायित्व भागीदारी के नाम के सदृश अथवा काफी हद तक सदृश है:

परंतु कि यह अवधारित करते समय कि क्या कोई प्रस्तावित नाम किसी सीमित दायित्व भागीदारी के नाम के काफी हद तक सदृश है; नियम 8 के उपबंध यथा आवश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे।

(ङ) कोई नाम जो नियम 9 के अनुसार उस समय आरक्षित है, वह प्रस्तावित नाम इसके सदृश अथवा काफी हद तक सदृश है:

परंतु कि यह अवधारित करते समय कि क्या कोई प्रस्तावित नाम किसी आरक्षित नाम से काफी हद तक सदृश है; नियम 8 के उपबंध यथा आवश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे।

(च) कंपनी का मुख्य कारबार वित्त-पोषण, पट्टा, चिट फंड, निवेश, प्रतिभूतियां अथवा इनका संयोजन है, किंतु प्रस्तावित नाम ऐसे संबंधित वित्तीय कार्यकलापों अर्थात् चिट फंड या निवेश अथवा ऋण इत्यादि का सूचक नहीं है;

(छ) . कंपनी का नाम वित्त-पोषण, पट्टा, चिट फंड, निवेश, प्रतिभूतियां या इनके संयोजन का सूचक है, किंतु कंपनी का मुख्य व्यवसाय ऐसे कार्यकलापों से संबंधित नहीं है;

(ज) यह किसी विद्यमान कंपनी या सीमित दायित्व भागीदारी के लोकप्रिय अथवा संक्षिप्त विवरण की निकटता वाले नाम के सदृश है;

(झ) प्रस्तावित नाम भारत से बाहर निगमित किसी कंपनी अथवा सीमित दायित्व भागीदारी के नाम के सदृश अथवा काफी हद तक सदृश है और ऐसी कंपनी या सीमित दायित्व भागीदारी द्वारा रजिस्ट्रार के पास आरक्षित है:



परंतु कि यदि कोई विदेशी कंपनी भारत में उसकी समनुषंगी कंपनी के रूप में निगमित है, तब नियंत्रि कंपनी के मूल नाम को भारत शब्द अथवा किसी भारतीय राज्य या शहर के नाम के साथ जोड़ने की अनुमति दी जा सकती है, यदि वह उपलब्ध भी हो;

परंतु यह और कि नियम 8 के उपबंध भारत से बाहर निगमित किसी कंपनी या सीमित दायित्व भागीदारी का प्रस्तावित नाम काफी हद तक सदृश हो, का निर्धारण करते समय यथा आवश्यक परिवर्तनों के साथ लागू होंगे;

(ज) प्रस्तावित नाम के किसी भाग में व्यवसाय संरचना के किसी पृथक प्रकार या विधिक व्यक्ति या उसका अभिधार्य अर्थात् को-ऑपरेटिव, सहकारी, न्यास, एलएलपी, भागीदारी, सोसायटी, प्रोपराइटर, एचयूएफ, फर्म, इंक, पीएलसी, जीएमबीएच, एसए, पीटीई, एसडीएन, एजी इत्यादि सांकेतिक शब्द भी सम्मिलित हैं।

स्पष्टीकरण :- इस खंड के प्रयोजनार्थ, यह स्पष्ट किया जाता है कि 'निर्वाचक न्यास' वाक्यांश सहित नाम को केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) द्वारा अधिसूचित निर्वाचक न्यास योजना, 2013 के अनुसार, इस अधिनियम की धारा 8 के अधीन बनने वाली कंपनी के रजिस्ट्रीकरण के लिए अनुज्ञात किया जा सकेगा :

परंतु कि नाम के आवेदन के साथ इस आशय का एक शपथ पत्र संलग्न हो कि प्राप्त किए जाने वाला नाम मात्र केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा उक्त अधिसूचित निर्वाचक न्यास योजना के अधीन कंपनी के रजिस्ट्रीकरण के प्रयोजनार्थ होगा;

(ट) प्रस्तावित नाम में 'ब्रिटिश इंडिया' शब्द समाविष्ट हैं;

(ठ) प्रस्तावित नाम किसी विदेशी सरकार के दूतावास या वाणिज्य दूतावास के संगम या संबंध को इंगित करता है;

(ड) प्रस्तावित नाम में संगम अथवा इससे संबंधित या किसी राष्ट्रीय नायक का संरक्षण या उच्च आदर प्राप्त कोई व्यक्ति या महत्वपूर्ण संभ्रांत व्यक्ति जिन्होंने सरकार में महत्वपूर्ण पद धारण किया है या धारण कर रहे हैं, सम्मिलित है या उसे इंगित करते हैं;

(ढ) प्रस्तावित नाम समापन की कार्रवाई के परिणामस्वरूप समाप्त हुई किसी कंपनी के नाम के सदृश है और ऐसे समापन की तारीख से दो वर्ष की अवधि व्यपगत नहीं हुई है :

परंतु कि, यदि प्रस्तावित नाम किसी कंपनी के नाम के सदृश है जो इस अधिनियम की धारा 248 के अधीन या कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 560 के अधीन कार्रवाई के अनुसरण में हटा दिया गया है, इस स्थिति में इस प्रकार हटाए गए उस नाम को राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 20 वर्ष की अवधि की समाप्ति से पूर्व अनुज्ञात नहीं किया जाएगा;

(ण) समापनाधीन किसी सीमित दायित्व भागीदारी का नाम अथवा किसी ऐसी सीमित दायित्व भागीदारी का नाम जिसे पांच वर्ष की अवधि के लिए हटा दिया गया है के सदृश;

(त) प्रस्तावित नाम में 'बीमा', 'बैंक', 'स्टॉक एक्सचेंज', 'जोखिम पूंजी', 'आस्ति प्रबंध', 'निधि', 'पारस्परिक निधि', आदि जैसे शब्द सम्मिलित हैं, जब तक कि आवेदक द्वारा इस आशय की एक घोषणा प्रस्तुत न की गई हो कि आवेदक द्वारा उन अपेक्षाओं का अनुपालन किया गया है जो आईआरडीए, आरबीआई, सेबी, एमसीए, आदि संबंधित नियामक द्वारा अपेक्षाएं अधिदेशित हैं।

(थ) प्रस्तावित नाम में "राज्य" शब्द सम्मिलित होगा, यदि कंपनी एक सरकारी कंपनी नहीं है;

(द) प्रस्तावित नाम में केवल किसी महाद्वीप, देश, राज्य, शहर जैसे एशिया लिमिटेड, जर्मनी लिमिटेड, हरियाणा लिमिटेड अथवा मैसूर लिमिटेड इत्यादि नाम समाविष्ट हैं;

(ध) विवरणात्मक नामों का प्रयोग, जिसमें नाम में मात्र किसी कार्यकलाप को वर्णित करने के लिए साधारणतः प्रयुक्त किए गए शब्द सम्मिलित है।

स्पष्टीकरण : इस खंड के प्रयोजनार्थ -

(क) वाक्यांश "साधारणतः प्रयुक्त शब्द" वर्गीय अभिव्यक्तियों के उपयोग से संबंधित है जिसे अपने व्यापार का वर्णन करने के लिए किसी अन्य कंपनी द्वारा उपयोग किया जा सकेगा;

(ख) यह अवधारित करते समय कि क्या कोई नाम वर्णात्मक है अथवा नहीं, प्रस्तावित कंपनी के उद्देश्य या किसी नाम में प्रतीत होने वाले शब्दों का क्रम संगत नहीं होगा;

(ग) नाम वहां वर्णात्मक होना नहीं समझा जाएगा जहां "साधारण प्रयुक्त शब्द" इस नाम में अन्य शब्दों के अतिरिक्त प्रयुक्त किए जाते हैं;

## क. दृष्टांत

- (i) सिल्क मैनुफेक्चरर्स प्राइवेट लिमिटेड और मैनुफेक्चरर्स सिल्क लिमिटेड वर्णात्मक नाम हैं, क्योंकि, ये मात्र किसी कार्य का वर्णन करते हैं जिसे किसी अन्य कंपनी द्वारा भी निष्पादित किया जा सकता है और शब्दों का क्रम किसी वर्णात्मक नाम को अवधारित करते समय संगत नहीं हैं।
- (ii) कंपनी वर्ल्ड लि., फूड स्टार लि., टुर हब लि. अथवा हाउस चाकलेट लि. वर्णात्मक नाम नहीं है क्योंकि ये नाम केवल साधारणात्मक रूप से प्रयुक्त होने वाले शब्दों से नहीं बने हैं।
- (iii) टेक्निकल विस्टा लिमिटेड या विस्टा टेक्निकल वर्णात्मक नाम नहीं हैं क्योंकि ये नाम मात्र साधारणतः प्रयोग किए जाने वाले शब्दों से नहीं बने हैं और इन शब्दों का क्रम किसी वर्णात्मक नाम को अवधारित करते समय संगत नहीं है।
- (iv) इसके बावजूद भी कि कंपनी का उद्देश्य पेयजल प्लांट संयंत्र लगाने से संबंधित नहीं है, ड्रिंकिंग वाटर प्लांट लिमिटेड एक वर्णात्मक नाम है, क्योंकि इसके नाम में साधारणतः प्रयुक्त शब्द हैं और प्रस्तावित कंपनी के उद्देश्य किसी नाम को यह अवधारित करते समय कि क्या वह वर्णात्मक है, संगत नहीं है।
- (v) सिल्क वाइज़ मैनुफेक्चरर्स प्राइवेट लिमिटेड वर्णात्मक नाम नहीं है क्योंकि इसमें "साधारणतः प्रयुक्त शब्दों" के अलावा अन्य शब्द हैं।

(न) यदि प्रस्तावित नाम में किसी विदेशी देश का नाम या विदेश के किसी शहर का नाम सम्मिलित होता है, तो इसे तभी अनुमति दी जाएगी यदि आवेदक ऐसे देश की किसी कंपनी के साथ ऐसे देश के साथ समझौता ज़ापन जैसा व्यवसायिक संबंधों की महत्ता का कोई प्रमाण प्रस्तुत करता है;

परन्तु, भारत शब्द के उपयोग के साथ किसी विदेशी नाम के साथ संयुक्त नाम जैसे इंडिया जापान या जापान इंडिया को अनुमति तभी दी जाएगी, यदि किसी सरकार से सरकार की भागीदारी अथवा संरक्षण हो और किसी शत्रु देश के नाम का प्रयोग करते हुए कोई कंपनी निगमित नहीं की जाएगी।

स्पष्टीकरण : इस खंड के प्रयोजनार्थ, "शत्रु" देश से अभिप्राय भारत सरकार द्वारा समय-समय पर ऐसा घोषित किए जाने वाले देश से है।

(प) इस अधिनियम की धारा 8 के अधीन किसी कंपनी के प्रस्तावित नाम में संस्थान, मंच, संगठन, संघ, मंडल, परिसंघ, परिषद, निर्वाचक न्यास और इत्यादि, जैसे शब्द सम्मिलित नहीं हैं।

(फ) इस अधिनियम के अधीन किसी निधि कंपनी के प्रस्तावित नाम में इसके नाम के एक भाग के रूप में "निधि लिमिटेड" अंतिम शब्द नहीं होने चाहिए।

(ब) प्रस्तावित नाम किसी कंपनी के नाम के परिवर्तन के उपरांत और परिवर्तन की तारीख से तीन वर्ष कालातीत न होने तक, जब तक कि, समझौते, व्यवस्था अथवा समामेलन के दौरान सक्षम प्राधिकारी से कोई विशिष्ट निदेश प्राप्त न हो, कंपनी के रजिस्टर से जारी किया गया है।

(2) आवेदक सकारात्मक अथवा नकारात्मक (स्वीकार करने या इनकार करने) रूप में घोषणा करेगा कि, क्या वह विगत पांच वर्षों से एकल स्वामित्व या भागीदारी अथवा कोई अन्य निगमित या अनिगमित निकाय जैसे किसी अन्य व्यवसाय संगठन में कंपनी अथवा एलएलपी के निगमन के लिए आवेदन किए गए नाम का उपयोग कर रहा है या उसके द्वारा उपयोग किया जा रहा है, और यदि, हां तो तत्संबंधी ब्यौरा दें और अन्य भागीदारों तथा यथास्थिति प्रस्तावित कंपनी या एलएलपी द्वारा ऐसे नाम के उपयोग के लिए सहायक से अनापत्ति प्रमाणपत्र के साथ ही यह घोषणा, कि क्या प्रस्तावित कंपनी या एलएलपी द्वारा इस प्रकार के अन्य व्यवसाय पर स्वामित्व प्राप्त किया जाएगा या नहीं किया जाएगा।

**8ख** शब्द या अभिव्यक्ति जिसे केवल केंद्रीय सरकार का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् उपयोग किया जा सकता है।

धारा 4 की उपधारा (3) के खंड (ख) के निबंधनों के अनुसार, निम्नलिखित शब्द और उनके संयोजन शब्द किसी कंपनी के नाम में अंग्रेजी या किसी अन्य भाषा में समान अर्थ दर्शाते हुए तब तक प्रयुक्त नहीं किए जाएंगे, जब तक कि, किसी ऐसे शब्द अथवा अभिव्यक्ति के उपयोग के लिए केंद्रीय सरकार का पूर्व अनुमोदन प्राप्त न कर लिया गया हो :-

(क) बोर्ड;

(ख) आयोग;

(ग) प्राधिकरण;

(घ) उपक्रम;

(ड) राष्ट्रीय;

- (च) संघ;
- (छ) केंद्रीय;
- (ज) संघीय;
- (झ) गणतंत्र;
- (ञ) प्रेसीडेंट;
- (ट) राष्ट्रपति;
- (ठ) लघु उद्यम;
- (ड) खादी और ग्राम उद्योग निगम;
- (ढ) वित्तीय, निगम और समतुल्य;
- (ण) नगरपालिका;
- (त) पंचायत;
- (थ) विकास प्राधिकरण;
- (द) प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री;
- (ध) मंत्री;
- (न) राष्ट्र;
- (प) वन निगम;
- (फ) विकास योजना;
- (ब) विधान या सांविधिक;
- (भ) न्यायालय या न्यायपालिका;
- (म) राज्यपाल;
- (य) सरकार (सरकारों), राज्य, इंडिया, भारत या अन्य सरकारी प्राधिकरण के अथवा केंद्रीय, राज्य या स्थानीय सरकारों और प्राधिकरणों द्वारा आरंभ की गई योजनाओं के साथ किसी रीति में सदृश और नाम के साथ स्कीम शब्द का उपयोग; और
- (यक) ब्यूरो;

के.वी.आर.मूर्ति  
10/5/19

के.वी.आर.मूर्ति, संयुक्त सचिव

टिप्पणी: मूल नियम भारत के राजपत्र असाधारण भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (i) में तारीख 31 मार्च, 2014 के सा.का.नि. 250(अ) द्वारा प्रकाशित किये गए थे और इसके पश्चात निम्नलिखित अधिसूचनाओं द्वारा संशोधित किये गए:-

| क्रम संख्या | अधिसूचना संख्या   | अधिसूचना की तारीख |
|-------------|-------------------|-------------------|
| 1.          | सा.का.नि. 349(अ)  | 01-05-2015        |
| 2.          | सा.का.नि. 442(अ)  | 29-05-2015        |
| 3.          | सा.का.नि. 99(अ)   | 22-01-2016        |
| 4.          | सा.का.नि. 336(अ)  | 23-03-2016        |
| 5.          | सा.का.नि. 743(अ)  | 27-07-2016        |
| 6.          | सा.का.नि. 936(अ)  | 01-10-2016        |
| 7.          | सा.का.नि. 1184(अ) | 29-12-2016        |
| 8.          | सा.का.नि. 70(अ)   | 25-01-2017        |
| 9.          | सा.का.नि.955(अ)   | 27.07.2017        |
| 10.         | सा.का.नि.49(अ)    | 20.01.2018        |
| 11.         | सा.का.नि.284(अ)   | 23.03.2018        |
| 12.         | सा.का.नि.708(अ)   | 27.07.2018        |
| 13.         | सा.का.नि.1219(अ)  | 18.12.2018        |
| 14.         | सा.का.नि.144(अ)   | 21.02.2019        |
| 15.         | सा.का.नि.180(अ)   | 06.03.2019        |
| 16.         | सा.का.नि.275(अ)   | 29.03.2019        |
| 17.         | सा.का.नि. 332(अ)  | 25.04.2019        |

\*\*\*\*\*